अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– एफ.4(ई)(1)(6)/अलेसे–III/171 दिनांकः– 07-02-2018

कार्यालय आदेश

इस निदेशालय के द्वारा जारी आदेश संख्या 263/2017–18 दिनांक 24.12.2017 के द्वारा कनिष्ठ लेखाकारो के स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश जारी करते हुए निर्देशित किया गया था कि स्थानान्तरित क0लेखाकार अविलम्ब कार्यमुक्त होकर नव पदस्थापित कार्यालय में कार्यग्रहण कर अपनी उपस्थिति इस निदेशालय को भिजवावे, इस संबंध में आपको इस कार्यालय के आदेश दिनांक 08.01.2018 द्वारा पुनः 3 दिवस में कार्यमुक्त होकर नवस्थानान्तरित कार्यालय में कार्यग्रहण कर सूचित करने हेतु लिखा गया था इसके बावजूद भी अभी तक कार्यग्रहण की सूचना अप्राप्त है। अतः जिन कनिष्ठ लेखाकारों द्वारा अभीतक कार्यग्रहण नही किया गया है, अविलम्ब अपने नवपदस्थापित कार्यालय में कार्यग्रहण कर इस विभाग को ई–मेल पर सुचित करें अन्यथा आदेशो की अनुपालना नही किये जाने की स्थिति में सम्बन्धित कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांकः– एफ.4(ई)(6)/अलेसे–III/171 दिनांकः– 07-02-2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष...को प्रेषित कर निवदेन है कि आपके यहाँ पदस्थापित स्थानान्तरणधीन कार्मिक को अविलंब कार्यमुक्त करने का श्रम करावें।
3. वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी/विभाग के लेखा प्रमुख को प्रेषित कर अनुरोध है कि स्थानान्तरित कार्मिकों को कार्यमुक्त कराये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का श्रम करावें।
4. संबंधित कोषाधिकारी .... को प्रेषित कर निर्देश है कि संबंधित जिले में स्थानान्तरणाधीन कार्मिकों के कार्यमुक्त न होने पर इस विभाग को ई–मेल से अवगत करायें।
5. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर शाखा (वेबसाइट हेतु)।
6. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महादेया।
7. श्री...कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय .... को निर्देशित किया जाता हैं कि वे तत्काल वर्तमान कार्यालय से कार्यमुक्त होकर नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर सूचना अविलम्ब फैक्स अथवा विभागीय ई–मेल पर इस विभाग को भिजवायें अन्यथा आदेशों की अवहेलना के लिए आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी।

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–III)